किया था उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी के रूप मे माना गया है। पेंशन तथा अन्य लाभ जो सामान्यतः स्वतन्त्रता सेनानियो के परिवार के सदस्यो को उपलब्ध है वे काकोरी षड्यंत्र काण्ड मे मारे जाने वाले व्यक्तियो के परिवार के सदस्यो को भी उपलब्ध होंगे। ऐसे लाभ जिन व्यक्तियो को प्राप्त हुए हैं उनके नाम व ब्यौरा उपलब्ध नही है।

राम प्रसाद बिस्मिल की बहिन श्रीमती शान्ति देवी को पेंशन देना

7416. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मार्च, 1973 के दैनिक 'वीर अर्जुन' मे प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमे अखिल भारतीय स्वाधीनता सेनानी संघ ने अपनी बैठक काकोरी काण्ड मे मारे गए राम प्रसाद बिस्मिल की बहिन श्रीमती शान्ति देवी को पेंशन देने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। श्रीमती शास्त्री देवी स्वर्गीय श्रीराम प्रसाद 'बिस्मिल' की बहिन होने के कारण केन्द्रीय योजना के अधीन स्वतन्त्रता सेनानीयो की पेंशन की स्वीकृति के लिये पात्र नही है ? किन्तु उनकी वृद्धावस्था, अस्वस्थता और तंग हालतों को ध्यान मे रखते हुए उन्हें गृह मंत्री के स्वेच्छा अनुदान निधि से 6,000/- रुपये मंजूर किये गये हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 65/- रुपये मासिक की पेंशन भी ले रहे हैं।

दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा सीमेंट के परमिटों का देना

7417. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग द्वारा दिये गये सीमेंट के परमिटों बारे मे कोई जाच की है, और

(ख) सीमेंट के परमिट देने सम्बन्धी प्रक्रिया की रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) जी नहीं

(ख) स्टाकिस्टो द्वारा प्राप्त सीमेंट के स्टाक का 90 प्रतिशत दिल्ली प्रशासन के सिविल आपूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटो पर बेचा जाता है। और बाकी 10 प्रतिशत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर, प्रति उपभोक्ता को 5 बोरे तक बिना परमिट के स्टाकिस्टो द्वारा स्वय ही छोटे छोटे उपभोक्ताओ को बेचा जाता है।

निर्माण कार्य के लिए सीमेंट का परमिट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को स्वीकृत नक्शा/पत्र और आवेदक की वास्तविक आवश्यकताओ के बारे मे वास्तविकता के प्रमाण-पत्र सहित सिविल आपूर्ति विभाग को आवेदन देना पडता है, यह विभाग उपभोक्त की आवश्यकताओ और स्टाक की उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुए किश्तो मे परमिट जारी करता है।

Scheme Submitted by Orissa for Tribal Development Blocks

7418 SHRI ARJUN SETHI Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state.

(a) whether Orissa Government have submitted a scheme for eleven